

28/10/22 प्रजावली पेश हुई। वाडी एवं वाडी
वस्तील कब्रुपास्थित। न्यायालय में
बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद
मात्र 5.00 बजे तक वाडी एवं वाडी
वस्तील में से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

मूलवाद कदम टाजरी एवं कदम
पैखी में खारिज हो चुका है। मूलवाद
का निस्तारण हो जाने से प्रांपत्र
212 RT Act का कोई कॉन्विल्य
नहीं रहता है।

अतः प्रांपत्र 212 RT Act की
कार्रवाई ड्रॉप की जाती है। प्रजावली
के मातृशुभार लेकर शफिल्टर से रूम की
जावे। निम्न मूलवाद है।

SDO